कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण,(डूडा) रायबरेली।

पत्रांकः 64 /01/डूडा/निविदा/2026–27 दिनांकः 11.5.2026

ई–निविदा सूचना

मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष–2025–26 में नगर पालिका परिषद रायबरेली के 04 निर्माण कार्यो की निविदा निम्नलिखित नियम व शर्तो के अधीन ऑनलाइन निविदाओं **http://etender.up.nic.in** के माध्यम से टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्सियल बिड शासनादेश संख्या 419/2019/1264/69–1–2019–14 (34)/2019 दिनांकः 05 नवम्बर 2019 के निर्देशों को समाहित करते हुए A श्रेणी के लिए हैसियत रू0 50.00 लाख, B श्रेणी के लिए हैसियत रू0 30.00 लाख एवं C श्रेणी के लिए हैसियत रू0 20.00, A,B,C श्रेणी के ठेकेदारो से दिनांक 14.5.2026 से 28.5.2026 सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी विड दिनांक 29.5.2026 को अपरान्ह 12.00 बजे परियोजना निदेशक डूडा रायबरेली के कार्यालय में में निर्धारित समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी एवं प्री–क्वालीफिकेशन बिड में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाइनेन्सियल बिड खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर ई–पोर्टल पर सूचित की जायेगी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार परियोजना निदेशक डूडा रायबरेली/टेण्डर समिति का होगा कार्य विवरण निम्नवत् हैः–

ऑनलाइन ई–निविदा सूचनाः–

क0 सं0	निकाय का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत जीएसटी एवं लेवर सेस छोड़कर (रू0 में)	मात्रा	धरोहर धनराशि (रू0में)		कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र जीएसटी+ स्टेशनरी का मूल्य सहित
					धनराशि रू0 10 प्रतिशत	परियोजना निदेशक रायबरेली		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर पालिका परिषद रायबरेली	नगर पालिका परिषद रायबरेली में मोहल्ला तुलसीनगर फेज–2 वार्ड नं0 17 में नगर पुलिया के आगे से राम गुलाम मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य	5204000.00	बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार	520400.00	परियोजना निदेशक रायबरेली	02 माह	860.00
2	नगर पालिका परिषद रायबरेली	नगर पालिका परिषद रायबरेली में मोहल्ला बहराना वार्ड नं0 15 में रीतू सोनकर के मकान से मुन्ना सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य	2694000.00	बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार	269400.00	परियोजना निदेशक रायबरेली	02 माह	860.00
3	नगर पालिका परिषद रायबरेली	नगर पालिका परिषद रायबरेली में मोहल्ला कल्लू किशन का पुरवा वार्ड नं0 18 में राम आसरे के घर से मदन राय व डाक्टर साहब के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य	2991000.00	बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार	299100.00	परियोजना निदेशक रायबरेली	02 माह	860.00
4	नगर पालिका परिषद रायबरेली	नगर पालिका परिषद रायबरेली में मोहल्ला शक्ति नगर वार्ड नं0 04 में शुद्वा बेगम स्कूल से आई0टी0 आई0 मोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य	4514000.00	बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार	451400.00	परियोजना निदेशक रायबरेली	02 माह	860.00

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या 01 से 04 कार्य की ऑनलाइन निविदाए दिनांक 14.5.2026 से दिनांक 28.5.2026 सांय 5:00 बजे तक आमन्त्रित की जायेंगी। आमंत्रित की गयी निविदाये समिति के समक्ष दिनांक 29.5.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे खोली जायेगी।

इस निविदा से सम्बन्धित विस्तृत शर्ते निम्नवत है:-

1. यह निविदा/बिड सूचना संख्या 64/01/डूडा/2026-27 से सम्बन्धित विस्तृत शर्ते तथा विवरण।
2. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र बेवसाइड http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा के साथ जिला नगरीय विकास अभिकरण रायबरेली की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि है तो वैकल्पिक) (IDT-1), (IDT-2), (IDT-3), व अन्य प्रपत्र/अभिलेख की स्कैन प्रति संलग्न किया जाना तथा उपरोक्त बेवसाइड पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि है तो) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-2), स्वघोषणा शपथ-पत्र (IDT-3), की मूल प्रति न्यूनतम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा उक्त प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी निविदादाता द्वारा अपनी निविदा के साथ ई-टेण्डर पोर्टल पर भी अपलोड कराना होगा।
4. निविदा/बिड की विस्तृत शर्ते निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।
5. निविदादाता को धरोहर धनराशि (वैध अवधि 12 माह) निविदा क्रय धनराशि चालान सहित तथा IDT-1, IDT-2, IDT-3, निर्धारित श्रेणी का प्रमाण पत्र अन्य आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र/अभिलेख डूडा कार्यालय में न्यूनतम निविदा दाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात निर्धारित की गयी तिथि को जमा करने होगे। जिसकी सूचना निविदादाता को अलग से दी जायेगी अन्यथा उनकी बिड को अनरेस्पान्सिव मानते हुये कोई विचार नही किया जाएगा तथा विभाग में उनके पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही जो कि नियमानुसार अनुमन्य होगी की जायेगी।
6. प्रत्येक निविदादाता को फाईनेन्सियल बिड के साथ रू0 100.00 का ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखाना होगा कि दरे 60 दिवस तक मान्य होगी इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन कॉपी ऑनलाइन निविदा के साथ जमा करनी है एवं न्यूनतम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात मूल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार जमानत धनराशि भी जमा करनी होगी।
7. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बतायें परियोजना निदेशक डूडा रायबरेली के पास सुरक्षित रहेगा।
8. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वो निविदा प्रकिया में भाग नही ले सकेगा।
9. राज्य बारकाउसिंल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रकिया में भाग नही ले सकेंगे।
10. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। निविदा की प्रकिया ऑनलाइन शुरू होने के पश्चात किसी लॉट के सम्बन्ध में समस्त अग्रिम कार्यवाही सिर्फ ऑनलाईन ही होगी। प्रत्येक निविदादाता की जिम्मेदारी होगी कि वो निविदा की प्रकिया शुरू होने के पश्चात ऑनलाइन निविदा के सम्बन्ध में होने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धि पत्र की जानकारी प्राप्त करता रहें। अन्यथा की स्थित में सम्पूर्ण जिम्मेंदारी निविदा दाता की होगी।
11. ई-पोर्टल पर प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले से परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता द्वारा(IDT-1), (IDT-2),(IDT-3) निर्धारित धरोहर/प्रतिभूति धनराशि अनुभव प्रमाण -पत्र हस्ताक्षर सहित ठीक-ठाक स्कैन कर अपलोड किये गये है या नही इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता की बिड निरस्त मानते हुये विचार नही किया जायेगा।
12. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
13. उपरोक्त दस्तावेज की सत्यापन अन्तिम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात निविदादाता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करवाना होगा एवं उपरोक्त प्रमाण-पत्रों में किसी भी प्रमाण-पत्र के गलत पाये जाने की स्थित में निविदादाता के विरूद्ध वाद दायरकर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

14. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि मूल रूप में प्रस्तुत नही किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
15. शासनोदश संख्या 622/23—12—2012—2 आडिट/08 टीसी दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दर से ठेकेदारों द्वारा दी गयी निविदत्त दर 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत की कमी पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों की कमी पर 1 प्रतिशत प्रति की कमी पर अतिरिक्त परफारमेन्स जमानत धनराशि जमा करनी होगी। परफारमेन्स जमानत धनराशि जमा करने की बाध्यता होगी। विभाग द्वारा निर्धारित कार्यकम के अनुसार कार्य कराने में असफल रहने पर धरोहर धनराशि तथा परफारमेन्स जमानत धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
16. 02 माह के अन्तर्गत कार्य पूर्ण न होने की दशा में निविदादाता की जमानत धनराशि जब्त करके निविदादाता के विरूद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेंगी एवं उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा। तथा सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
17. उपरोक्त सभी निर्माण कार्यो की आगणन की दरें 01 प्रतिशत सेस एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रहित है।
18. विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 4/2021/ए—1—02मु0स0/10—2021 दिनांक 08 मार्च 2021 के आदेशों का अनुपालन कराया जायेगा।
19. निविदादाता को प्रतिशत दर के आधार पर निविदा की बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार अपलोड करना होगा।
20. ऑनलाइन निविदा के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु अलग—अलग 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एफडीआर एक साथ परियोजना निदेशक डूडा रायबरेली के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है, जिसे प्रत्येक कार्यो के साथ अलग—अलग पोर्टल पर अपलोड निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, एवं निविदा शुल्क प्रत्येक कार्यो के साथ अलग—अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर पोर्टल पर अपलोड निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. प्रत्येक कार्यो हेतु निर्धारित निविदा मूल्य की धनराशि को डूडा रायबरेली के खाता संख्या 0275104000200059 आई0डी0बी0आई0 बैंक रायबरेली आई0एफ0एस0सी0 कोड IBKL0000275 में आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा जिसकी पावती रसीद प्रत्येक कार्यो के साथ ई—टेण्डर पोर्टल पर अपलोड एवं ऑफ लाइन निविदा के साथ धरोहर धनराशि (एफ0डी0आर0 के रूप में) संलग्न किया जायेगा जिसकी स्कैन कॉपी ई—टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
22. निविदादाता को प्रत्येक कार्यो के निविदा के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत व चरित्र प्रमाण—पत्र जो निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत का हो उसे ई—पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिस हैसियत व चरित्र प्रमाण—पत्र की समय सीमा समाप्त हो चुकी है उसे निरस्त मानते हुये निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
23. निविदादाता से न्यूनतम् निविदा प्राप्त होने के उपरान्त निविदादाता जिसके पास डूडा द्वारा पूर्व में पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी नही किया गया है सम्बन्धित निविदादाता जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) रायबरेली में पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई—बैंकिंग के माध्यम से जमा कराते हुये निविदादाता का पंजीकरण कर निविदा की शर्तो के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराते हुये नियमानुसार अनुबन्ध किया जायेगा।
24. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को 100/— के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ पत्र ई—पोर्टल पर अपलोड निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
25. जीएसटी के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेश उपरोक्त ई—निविदाओं पर प्रभावी होंगे।
26. प्रत्येक ई—निविदा के साथ निविदादाता/फर्म का आयकर पैन नम्बर (निविदादाता फर्म की दशा में फर्म के नाम का पैन नम्बर होना अनिवार्य है) निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं विगत 03 वित्तीय वर्षो (2022—23, 2023—24, 2024—25) का आयकर रिर्टन की छायाप्रतिया संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. निविदादाता को निविदा के साथ विगत तीन वित्तीय वर्षो (2022—23, 2023—24, 2024—25) सी0ए0 द्वारा अडिटेड बैलेन्स शीट की छायाप्रतियॉं संलग्न करना अनिवार्य होगा।
28. निविदादाता फर्म को शासकीय (P.S.U G.O.V Ltd)/अर्धशासकीय (P.S.U G.O.V Ltd) विभागों में समान श्रेणी के कार्य को पूर्ण किया हो तथा उसका भुगतान प्राप्त किया हो, का सक्षम स्तर से निर्गत सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी सन्तोषजनक रूप से कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र धनांक सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
29. यदि किसी कारण वश ई—निविदा की तकनीकी/वित्तीय बिड निर्धारित दिनांक को नही खोली जाती है तो अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

30. वित्तीय बिड खुलने के उपरान्त 10 प्रतिशत से अधिक न्यून दरे डालने वाले निविदादाताओं द्वारा रू0 100 के स्टाम्प पर .कार्य को संतोषजनक करने का नोटरी शपथ–पत्र एवं कार्य हेतु अपनी कार्य योजना (बार चार्ट) निविदा के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी जिसपर निविदा समिति विचार करेगी तदोपरान्त ही **Work order** जारी होगा।

31. यदि किसी कार्य में दो या दो से अधिक निविदादाताओं की दरे समान पायी जाती है तो उस कार्य का आवन्टन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

32. निविदादाता द्वारा किये गए कार्य के भुगतान से वैधानिक कटौती नियमानुसार की जायेगी।

33. लोक निर्माण विभाग के **Bidding Documents From No. PWD/T-1** के बिन्दु संख्या 24.1 एवं 24.2 के अनुसार समय से कार्य पूर्ण न करने की दशा में अर्थदण्ड **(penalty for delay time) /Liquidated Damages** लगाते हुये अनुबन्ध के अन्तिमीकरण की कार्यवाही कर दी जायेंगी।

34. कार्य पूर्ण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि **Defect Liaballity period** रहेगी।

35. किसी भी विवाद पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला नगरीय विकास अभिकरण रायबरेली का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। जिलाधिकारी/अध्यक्ष के निर्णय के विपरीत किसी भी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय में नही लाया जायेगा।

(शशी कुमार मेहरोत्रा)
परियोजना अधिकारी
डूडा रायबरेली

Signature Not Verified
Digitally signed by SAMEER SRIVASTAVA
Date: 2026.05.15 14:48:31 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner